



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082023-247886
CG-DL-E-05082023-247886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3356]
No. 3356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/श्रावण 13, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2023/SHRAVANA 13, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023
सं. 26 / 2023

विषय: दिनांक 03.08.2023 की अधिसूचना संख्या 23/2023 में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3507(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 23/2023 दिनांक 03.08.2023 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

दिनांक 03.08.2023 की अधिसूचना सं. 23/2023 दिनांक 01 नवम्बर, 2023 से प्रभावी होगी। खेपों की प्रतिबंधित आयातों हेतु लाईसेंस के बिना दिनांक 31.10.2023 तक निकासी की जा सकती है। दिनांक 01.11.2023 से आयात खेपों की निकासी हेतु प्रतिबंधित आयातों के लिए वैध लाईसेंस आवश्यक है।

अधिसूचना का प्रभाव: दिनांक 31.10.2023 तक एचएसएन 8471 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कम्प्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कम्प्यूटर्स और सर्वर के आयात हेतु उदार परिवर्ती व्यवस्था प्रदान की गई है।

[फा. सं. 01/89/180/39/एम-13/पीसी-2[क]/ई-2261]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2023

No. 26/2023**Subject: Amendments to Notification No. 23/2023 dated 03.08.2023-reg.**

S.O. 3507(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the following amendments are made in Notification No. 23/2023 dated 03.08.2023:

Notification No. 23/2023 dated 03.08.2023 shall be **effective from 1st November 2023**. Import consignments can be cleared till 31.10.2023 without a Licence for Restricted Imports. For clearance of import consignments with effect from 01.11.2023, a valid Licence for Restricted Imports is required.

Effect of the Notification: Liberal transitional arrangements are provided for import of Laptops, Tablets, All-in-one Personal Computers, Ultra small form factor Computers and Servers falling under HSN 8471 till 31.10.2023.

[F.No. 01/89/180/39/AM-13/PC-2[A]/E-2261]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.